राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1484/2025 रमेश उर्फ़ रामेश्वर बनाम ओमप्रकाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11/02/2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने में सहायक प्रतीत होते है। अत: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाकर प्रस्तुत दतावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
19/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 02/05/2025 पारित करते हुये तहसीलदार को ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर स्थित खसरा नम्बर 54/631, 57, 58 -3 कुल रकबा 1.2646 हैक्टेयर अन्तर्गत बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27/08/2025 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27/08/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्तियो का निस्तारण करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। विधि अनुसार भी सयुक्त खाते की आराजी में राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**रमेश उर्फ़ रामेश्वर बनाम ओमप्रकाश** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(2)

प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक ईन्च भूमि पर कब्जे की अवधारण होती है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह तर्क की कुर्रेजात तैयार करते वक्त कब्जे का उल्लेख रिपोर्ट में नही किया गया है, मान्य नही रह जाती है | कानूनन सयुक्त खाते की आराजी का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी (बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स) के आधार पर राजस्व मण्डल के विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये विभाजन किया जाना आवश्यक होता है | ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन न्यायसंगत एवं विधिसम्मत जाहिर होता है | अपीलार्थी द्वारा तकनीकी बिन्दुओ को उद्धरित करते हुये विभाजन की अपीलाधीन डिक्री को चुनौती दी गयी है | ऐसी स्थिति में तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर सहखातेदार के मध्य हुये विभाजन को अपास्त किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27/08/2025 को यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 19/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर